कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ अरण्य मवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर-प्रधान-मुख्य <del>वन संरक्षक — भू-प्रबं</del>ध)

दूरभाषः ०७७१ – २५१२८४०

ई - मेलः apecf-lm.eg@gov.in

क्र0/भू—प्रबंध/विद्युत/४७९—१७६/ **१८५६** प्रति.

रायपुर, दिनांक 05/08/2022

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा संयपुर, अटल नगर

विषय:-

Diversion of 9.589 ha of forest land in favour of CSPTCL for construction of 132 KV DCDS line to provide supply from 132/33 KV SS Kondatari to M/s NTPC Ltd. Jurda in Raigarh district in the state of Chhattisgarh- regarding.

पंजीयन क्रमांक- FP/CG/TRANS/ 39462/2019

संदर्भ:- 1.

- . भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ.नं.—एफ.सी.—2/आई.आर.ओ.सी.एच.—07/2021/403 दिनांक 07.12.2021
- 2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक / 1175 दिनांक 04.05.2022 एवं पत्र क्रमांक 1892 दिनांक 21.07.2022

-00-

उपरोक्त संदर्भित पत्र —1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा "रायगढ़ वन मण्डल में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्तावित प्रकरण 132 KV DCDS Transmission line from 220/132 KV SS Kondatari to M/s NTPC Ltd. तक रकबा 9.589 है. वन /राजस्व वन क्षेत्र को गैर वानिकी उपयोग हेतु दिये जाने बाबत प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

संदर्भित पत्र —2 दिनांक 04.05.2022 के माध्यम से उक्त प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति उपरांत पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा पत्र दिनांक 21.07.2022 द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण औषधीय रोपण की अंतर की राशि एवं एवीफौना योजना की राशि जमा कराकर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। प्रतिवेदन निम्नानुसार है:—

5	S.No.	Conditions	Compliance Status
7	1	Legal status of the forest land shall remain	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र
		unchanged;	संलग्न है (संलग्नक—1)।
	II	Compensatory afforestation  (A) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 19.178 ha degraded forest land of Compartment No. OA 1029-3.417 Ha., OA 1023-8.076 Ha. and OA 1021-7.685 Ha. Village-Rengapali, Block-Pusaur at Raigarh District, in Raigarh Forest Division, at the cost of the user agency. As far as posssible, a mixture of local indigenous species	(A) शर्त अनुसार प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र रकबा 19.178 हे. में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण आवेदक संस्थान के व्यय पर किया जावेगा।



	S.No.	Conditions	Compliance Status
		shall be planted and monoculture of any species may be avoided;	
		(B) The non-forest land which has been transferred and mutated in favour of the State Forest Department:	(B) प्रकरण में दुगुने-बिगड़े वन क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रस्तावित है।
	III	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र रकबा 19.178 हे. में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान से वर्ष 2022—23 की वर्तमान प्रचलित दर राशि रू. 878787/— प्रति हे. के मान से कैम्पा खाते में ई पोर्टल के माध्यम से राशि रू. 1,68,53,378 जमा करायी गई है जो निम्नानुसार है:—
		The CA will be maintained for 10 years.	CA 1,53,22,046 18.02.2022
		The scheme may include appropriate	CA (अंतर) 15,31,332 08.07.2022
		provision for anticipated cost increase for	योग 1,68,53,378
		works scheduled for subsequent years;	पुष्टि हेतु वेब जेनरेटेड कैम्पा पर्त्रक संलग्न है। (संलग्नक–2) अंतिम चरण स्वीकृति पश्चात क्षेत्र व्यपवर्तन के पूर्व अंतर की राशि जमा करायी जावेगी।
ŀ	IV	NPV:	वर्ग सारा अस्ता वर्गावा अविन्ता ।
	(a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 7.011 Ha. Forest land being diverted under this proposal form the User Agency as per the	प्रकरण में आवेदक संस्थान से शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि रू. 6,30,90,344 कैम्पा खाते में ई पोर्टल के माध्यम से जमा करायी गई है। विवरण निम्नानुसार है:–
		order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008. and 09-05-2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;	ईको क्लास रकबा दर राशि जमा एवं घनत्व है.में करने का तृतीय सघन 2.19 803000 1758570 18.02. तृतीय विरल 7.399 626000 4631774 2022 योग 9.589 6390344  / पुष्टि हेतु वेब जेनरेटेड कैम्पा पत्रक संलग्न है। (संलग्नक—2)
	(b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert committee, shall be charged by the State Govt. from the User Agency. The User Agency shall fumish an undertaking to this effect;	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रुप देने के पश्चात यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) अतिरिक्त राशि देय होती है, तो आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया जावेगा। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक—3)

İ	S.No.	Conditions	Compliance Status
	V	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/);	आवेदक संस्थान द्वारा कैम्पा मद की राशि ई पोर्टल के माध्यम से जमा किया गया है एवं वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक 4)।
	VI	Felling of trees shall be restricted to only 287 trees, throughout the length of the transmission line while remaining 1319 trees will be kept intact by the User Agency. Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है इस आशय का वचन पत्र संलग्न है। वृक्ष विदोहन हेतु आवेदक संस्थान द्वारा विदोहन की राशि रु. 5,86,544/— डी.डी. क्रमांक 900672 दिनांक 25.02.2022 द्वारा वनमण्डल कार्यालय में जमा किया गया है। पुष्टि हेतु जमा रसीद संलग्न है। (संलग्नक—5)
و و	VII	No approach road shall be constructed in the forest area for transportation of steel and other material required for the transmission line. As far as possible the User Agency shall use the existing road and the event of non-availability of such facilities, the User Agency shall transport material manually without construction of any path.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक–6)।
	VIII	The user agency, shall be submit Specific comments of Chief Wildlife Warden, Government of Chhattisgarh, on Schedule-I species like, Leopard, Tiger, Indian Gazelle, Four homed antelope, Wolf, Sloth bear, Striped Hayena, Indian Pangolin, ect. the same shall be submitted along with the Stage-I compliance report.	शर्त के अनुक्रम में अ.प्र.मु.व.संरक्षक (वन्य प्राणी) को प्रेषित मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर के पत्र दिनांक 21. 06.2022 अनुसार प्रकरण ट्रांसिमशन लाईन होने के कारण वन्य प्राणी योजना की आवश्यकता नहीं है। कार्यालयीन पत्र दिनांक 21.06.2022 द्वारा शर्त के अनुक्रम में अभिमत बाबत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से अनुरोध किया गया है, अभिमत अप्राप्त है। आवेदक संस्थान द्वारा शर्त पालन के संबंध में वचन पत्र दिया गया है जो संलग्न है (संलग्नक—7)। प्रस्ताव में वन्य प्राणी प्रभाग से प्राप्त अभिमत अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
	IX	User Agency Shall prepare Avifauna management plan with consultation of State Forest Department, the same shall be submitted along with Stage-I compliance report.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक—8)। आवेदक संस्थान द्वारा एवीफौना योजना के कियान्वयन हेतु अनुमानित राशि रू. 900000/— ई पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाते में दिनांक 08.07.2022 को जमा किया गया है। पृष्टि संलग्नक—2 से की जा सकती है।
	Х	Compliance of Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 along with supporting documents in the form of copies of record of proceedings of the Forest	पूर्व प्रेषित प्रस्ताव के पृष्ठ कमोक 184 से 187 में कलेक्टर रायगढ़ का वन अधिकार वितरण प्रमाण पत्र, राजस्व वनभूमि के लिए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जारी

अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा प्रस्ताव में अनुविभाग स्तरीय

of record of proceedings of theForest



S.No.	Conditions	Compliance Status
	Rights Committess, Gram Sabha (s), Sub	वन अधिकार समिति एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार
	Divisional Level Committee(s) has not	समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न किया गया है।
	submitted by the User Agency the same shall be submitted by the User Agency	छायाप्रति पुनः संलग्न है।
	along with State-1 compliance report fo	(संलग्नक–9)।
	Stage-2 approval.	(4.4. 1.7. 1)
XI	The user agency at its cost shall provide	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र
	bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmision line at	संलग्न है (संलग्नक—10) ।
	suitable intervals to avoid bird hits;	
XII	User agency shall obtain environment	आंवश्यकता नहीं है
	clearance as per the provisions of the	·
	Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	
XIII	No labour camp shall be established on the	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र
7111	forest land;	संलग्न है (संलग्नक-11)।
XIV	The User agency shall provide firewood,	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र
AIV	preferablyn alternate fuels, to the labourer	संलग्न है (संलग्नक-12)।
	and the staff working at the site so as to	सलक्त ह (सलक्तक—12)।
	avoid any damage and pressure aon the nearby forest areas;	The second secon
XV	The boundary of the diverted forest land	
A V	shall be suitably demarcated on ground at	वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आवेदित
	the project cost, by erecting four feet high	क्षेत्र को चार फीट ऊंची आर.सी.सी. पीलर्स गड़ाकर
	reinforeced cement concrete pillars, each	फारवर्ड एवं बैकवर्ड वीयरिंग अंकित किया जाकर
	inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar	सीमाकन कार्य किये जाने हेतु प्राक्कलित राशि अनुसार
	to pillar;	क्र. 1,50,744/— वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के नाम से
		डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक ९००६७३ दिनांक २५.०२.२०२२ प्राप्त
		कर पी.डी. खाते में जमा कर दिया गया है।
		(संलग्नक—13)।
XVI	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र
	project proposal;	संलग्न है (संलग्नक—14)।
XVII	The layout plan of the proposal shall not be	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र
	changed without prior approval of Central	संलग्न है (संलग्नक-15)।
3251353	Government; The forest land proposed to be diverted	junt .
XVIII	shall under no circumstances be transferred	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र
	to any other agencies, department or person	संलग्न है <b>(संलग्नक</b> —16 <b>)</b> !
	without prior approval of the Central	
7.777	Government. The user agency shall install circuit	
XIX	breakaers at suitable places besides	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र
	maintain necessary groud clearance to	संलग्न है (संलग्नक—17)।
	prevent electrocution of wild animals;	
XX	To minimize the felling for construction of transmission line, user agency shall comply	
	with the following guidelines:	
(a)	Below each conductor, width clearance of	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र
	3 mts. would be permitted for carrying the	संलग्न है (संलग्नक—18)।

	S.No.	Conditions	Compliance Status
		tension tringing equipment. The trees on such trips may be felled but after stringing	
		work is completed, the natural regeneration	
		will be allowed to come up.	
	(b)	One outer strip may be left clear to permit maintenance of the transmission line;	रात जानवचर रारजान पर गान्य है, रादाराय का प्रवन पत्र
			संलग्न है (संलग्नक—19)।
	(c)	In the remaining width the right of way felling/pollarding/pruning of trees will be	तत अगर व तरमा । यत या व ए, तबाराव वर्ग ववन वत्र
		done with the permission of the local forest	संलग्न है (संलग्नक-20)।
		oficer whenever necessary to maintain the	
		electrical clearance, trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent	
		required, for preventing electrical hazards	
		by maintaining the minumum 4.0 meter	
		clearance between conductors and trees. The sag and swing of the conductores are	
		to be kept in view while working out the	
		minimum clearance mentioned as above;	
	(d)	User agency in consulation with the Sate Forest Department prepare a detailed	शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्राक्कलन
		sheme for creation and maintenanace of	अनुसार रकबा 3.551 हे. लिए औषधी वृक्षारोपण की
		platation of dwarf species (preferably	राशि रु. 28,36,683/— तथा अंतर की राशि रू.
-		medicinal plants) in righ of way under the transmission line, and provide funds for	2,83,890/- कुल राशि रू. 31,20,573/- कैम्पा खाते
		execution of the said scheme to the State	में वेब पोर्टल के माध्यम से जमा किया गया है। पुष्टि
		Forest Department; and	संलग्नक—2 से की जा सकती है।
ŀ	(e)	In case a protion of the transmission lines	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र
		to be constructed is located in hilly areas,	संलग्न है (संलग्नक-21)
		where adequate clearnace is already available, trees shall not be cut;	110 Te (110 21)
r	XXI	Height of transmission towers, in forest	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र
		areas, wherever regarded, shall be increased	संलग्न है (संलग्नक-22)
		to provide groud clearance to the extent maximum possible as per relevant	14 22/1
		permissible norms;	
	XXII	Any other condition that the concerned	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र
Ī		Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest	संलग्न है (संलग्नक-23)।
		of conservation, protection and	
$\downarrow$		development of forests & wildlife;	
ļ	XXIII	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र
		provisons of the all Acts, Rules,	संलग्न है (संलग्नक-24)।
		Regulations and Guidelines, for the time	
		being in forece, as applicable to the project;	
	XXIV	Grant of working permission to the extant	शर्त के अनुक्रम में एक वर्ष की कार्यअनुमित हेतु मुख्य
		proposal may be considered by the State	वन संरक्षक, बिलासपुर को लेख की गई है।
		Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's	,
		Guidelines date 7.01.2015 and	



S.No.	Conditions	Compliance Status
XXV	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	पालन प्रतिवेदन ऑन लाईन वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

कृपया प्रकरण के प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुक्रम में उपरोक्तानुसार पालन प्रतिवेदन को मान्य करते हुए अंतिम चरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

सलग्न -

संलग्नक 1 से 24 तक की छाया प्रति

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू — प्रबंध / व. सं. अ) छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू—प्रबंध/विद्युत/४७९—१७६/ | १५५ ने प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्:

रायपुर, दिनांक 😂 / 08 / 2022

- 1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक** (उत्पादन), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर। प्रथम चरण स्वीकृति के शर्त कमोक (vi) के अनुपालन में वृक्ष विदोहन की अनुमति जारी करने का कष्ट करे।
- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- लीनियर प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के गाइड लाईन दिनांक 28.08.2015 के अंतर्गत आवेदक संस्थान द्वारा सीमांकन की शर्त पर प्रथम चरण स्वीकृति में ्री शर्तों की पालन के शर्त पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान की जाती है। यह अनुमित एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। उत्पादन प्रभाग से वृक्ष विदोहन की अनुमित लिये बिना वृक्षों का विदोहन नहीं किया जावेगा।
- 3. **वन मंडलाधिकारी**, रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
- 4. अधीक्षण अभियंता, अ.ज.दा. (नि एवं सं.) वृत्त, छ.ग.रा.वि.पारे.कं.मर्या. विलासपुर। शर्त (ix) के पालन में अनुमोदित एवीफौना योजना की प्रति शीघ्र प्रस्तुत करें।

अ.प्र.मु.व.स (भू — प्रबंध / व. सं. अ) ०/८ छत्तीसगढ़